न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–177/2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

हुक्माराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी इंदौका तहसील जोधपुर जिला हाल 4 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रतिवादी

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 6.4.23**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.01.16 में पारित आदेश'' पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 177/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 280/07 को 21.06.2011 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.06.2011 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि चक 4 केएलडी मु0नं0 171/43 के किला नं0 11, 12 की 2.00 बीघा भूमि में अवैध खनन कर जिप्सम निकाली जा रही है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

रिमाण्ड पश्चात उप–तहसीलदार दन्तौर रिपोर्ट दिनांक 21.03.23 व साथ संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गए जिसके अनुसार मुताबिक वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी के अनुसार चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/43 रकबा 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि आराजीराज दर्ज है। मुताबिक वर्तमान जमाबंदी अनुसार उक्त रकबा में कोई स्थगन नोट अंकित नहीं है। मौके पर मु0नं0 171/43 के किला नं0 1 में ढ़ाणी बनी हुई है तथा किला नं0 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 24 व 25 कुल 11.00 बीघा में

सरसों तथा 5,6,15 कुल 3.00 बीघा में गेहूँ की अवैध फसल भागीरथ पुत्र सत्यनारायण जाति कुम्हार ने बो रखी है। जिसकी अवैध काश्त/अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है तथा मु0नं0 171/43 का शेष रकबा खाली है। वर्तमान में मौके पर उक्त रकबा में अवैध खनन नहीं हो रहा है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गई । राजपैरोकार ने वादपत्र के कथन के आधार पर वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रतिवादी ने निवेदन किया कि चक 4 केएलडी मु0नं0 171/43 की 25.00 बीघा भूमि पर आवंटन से निरन्तर काबिज काश्त है। मौके पर ढ़ाणी बनाकर रहवास है। श्रीमानजी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा एकपक्षीय दिनांक 21.06.2011 को खारिज कर दिया तो प्रार्थी/प्रतिवादी ने माननीय न्याायलय आर0ए0ए0 बीकानेर में चाराजोही की तो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2011 निरस्त कर अपील स्वीकार कर दिनांक 28.01.16 को प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। जिसकी पालना में रिकॉर्ड में पुनः प्रतिवादी का नाम दर्ज किया जाना था। वादी का वाद विधि से बाधित है तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.01.16 के खिलाफ कोई निगरानी नहीं की गई है। स्वतः ही प्रतिवादी खातेदार दर्ज होने के अधिकारी है। दावा सारहीन है तथा प्रतिवादी द्वारा कोई खननकार्य नहीं किया गया है। केवल खेती ही करता है मौके पर ग्वार की काश्त खड़ी है। अतः बहस स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय की पालना में प्रतिवादी का रिकॉर्ड पर पुनः खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.6.2011 को निरस्त किया जा चुका है। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है नाही कोई स्वतंत्र गवाहों के बयान करवावे गए जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख, स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट राजपैराकार(उप–तहसीलदार दन्तौर) 21.03.23 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि वादपत्र में वादगत भूमि पूरा मुरब्बा खारिज किया गया है जबकि वादपत्र में शिकायत किला नं0 11, 12 की गई है और न्यायालय हाजा के निर्णय में चक 4 केएलडी मु0नं0 171/43 किला नं0 1 ता 25 पूरा खारिज किया गया है। रिमाण्ड प्रकरण में मजबूत साक्ष्य–सबूत, स्वतंत्र गवाह दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट राजपैरोकार उप–तहसीलदार 21.03.23 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट 14.09.07 परस्पर विरोधाभासी है। प्रतिवादी के बहस के कथनों को राजपैरोकार उप–तहसीलदार 21.03.23 रिपोर्ट से बल मिलता है।

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत, स्वतंत्र गवाह दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 177/2022 सरकार बनाम हुक्माराम खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय प्रकरण सं0 280/07 दिनांक 21.06.2011 की पालना में चक 4 केएलडी मु0नं0 171/43 किला नं0 1 ता 25 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)